Amar Ujala/ Lucknow/ December 21, 2012

हाउसिंग स्कीम में लागू होंगे ईसीबीसी मानक

ऊर्जा संरक्षण का ड्राफ्ट तैयार, नोटिफिकेशन की कवायद

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में प्रस्तावित सभी हाउसिंग स्कीमों व मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों के निर्माण में जल्द ही एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड (ईसीबीसी) के मानकों को लागू किया जाएगा। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। प्रदेश सरकार जल्द ही इसे लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की कवायद में है।

यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर व ईसीबीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए नामित राज्य एजेंसी के समन्वयक एसपी श्रीवास्तव ने गुरुवार को एलडीए व सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायर्नमेंटल (सीएसई) के तत्वावधान में आयोजित 'ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा' विषयक वर्कशॉप में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी। ड्राफ्ट की खास बात है कि यह ऊर्जा संरक्षण के नाम पर सिर्फ बिजली की खपत कम करने तक ही सीमित नहीं है। इसमें ऐसे उपायों को अपनाने पर जोर दिया गया है जिनसे बिजली के साथ ही डीजल व अन्य ईंधनों की खपत में भी कमी लाई जा सके। इसमें विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद व नगर निगम के सुझावों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में बिजली की खपत कम करने के लिए बल्ब की बजाय सीएफएल लगवाने का अभियान चलाया गया। सीएफएल के प्रयोग से बिजली की खपत में 20 से 30 फीसदी तक कमी आई।

30 से 35 फीसदी बचत

ईसीबीसी के मानकों के लागू होने पर प्रस्तावित हाउसिंग स्कीमों में अनिवार्य तौर पर एनर्जी इंसेंटिव मैटीरियल, विंड एनर्जी के अधिकाधिक प्रयोग, वाटर कंजर्वेशन, स्ट्रीट लाइट के लिए अनिवार्य तौर पर सोलर लाइटिंग सिस्टम, सोडियम लैंप की जगह एईडी लगाना व प्लांटेशन करना होगा। ईसीबीसी के मानकों को कड़ाई से लागू किया गया तो 30 से 35 फीसदी तक ऊर्जा की बचत होगी।

सरकारी भवनों में घटी खपत

एसपी श्रीवास्तव ने बताया कि ईसीबीसी के सुझावों को अपनाने से सरकारी भवनों की बिजली खपत में कमी आई है। एनेक्सी भवन में बिजली खपत में कमी से हर माह 7.50 लाख, बापू भवन में 2.50 लाख और शक्ति भवन में हर माह 2.75 लाख रुपए की बचत हो रही है। बिजली खपत में कमी लाने के लिए इन भवनों में सीएफल इस्तेमाल के साथ पावर कट व ऑफ के ऑटोमेटिक सिस्टम को बेहतर तरीके से प्रयोग में लाया गया।

ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से भी बचेगी बिजली

लखनऊ। हरित भवन की अवधारणा ही भविष्य में सभी तरह की ऊर्जा के संरक्षण में कारगार साबित होगी। इसके लिए समाज के हर वर्ग में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को फैलाना होगा। इस तकनीक में भवन निर्माण के समय इसकी डिजाइनिंग से लेकर उसमें उपयोग होने वाली सामग्री के आधार पर बिजली सहित अन्य तरह की ऊर्जा को बचाने में सफलता मिलेगी। सामान्य तौर पर बड़े भवन में अगर हर साल 180 से 200 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर बिजली खर्च होती है तो हरित भवन की अवधारणा से इसे घटाकर 110 से 140 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तक लाया जा सकता है। यह जानकारी नई दिल्ली से आईं सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायर्नमेंट की एक्जीक्यूटिव रिसर्च डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने गुरुवार को दी। वे सीएसई व एलडीए के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट विषयक वर्कशॉप के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने बताया कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट इस तरह तैयार किया गया है कि इससे आवासीय क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन के साथ ही विभिन्न तरह की ऊर्जा की खपत में अधिक से अधिक बचत संभव हो सके।

इन बातों का रखें ध्यान

दिल्ली से आए डीपीएपी के चीफ वास्तुविद् दीपेंद्र प्रसाद ने बताया कि हरित भवन की अवधारणा के तहत भवन का निर्माण ऐसे होना चाहिए जिससे बिजली और पानी की न्यूनतम खपत से अधिकतम उपयोग संभव हो सके। हमेशा ये प्रयास रहे कि मकान के खिड़की-दरवाजे उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर रहें। भवन निर्माण में एनर्जी इनसेंटिव मैटेरियल का अधिकतम उपयोग करते हुए बाथरूम-किचन आदि में पानी की ऐसी टोंटियां लगवाएं जिनसे पानी का दुरुपयोग न हो पाए। वास्तुविद् अनुपम मित्तल ने बताया कि हरित भवन में सोलर सिस्टम व वाटर हार्वेस्टिंग से पानी की जरूरत को बिना बाहरी संसाधन के ही पूरा किया जा सकेगा। कॉलोनियों के पास ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने से वाहनों के आवागमन को कम किया जा सकता है।

एलडीए में नए मानक

एलडीए के टाउन प्लानर एस रेड्डी ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण में हरित भवनों की अवधारणा को अब प्राधिकरण स्तर पर भी अपनाया जाने लगा है। इसके चलते ही नव विकसित आवासीय योजनाओं में भवनों की डिजाइन के साथ ही सोलर सिस्टम आधारित स्ट्रीट लाइट व्यवस्था व वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेयजल व्यवस्था के लिए एनर्जी एफिशिएंट पंप के इस्तेमाल को फिलहाल अनिवार्य तौर पर उपयोग में लाया जाने लगा है। ईसीबीसी (एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड) मानक का ड्राफ्ट लागू होते ही हरित भवन निर्माण की पूरी अवधारणा को प्रयोग लाया जाने लगेगा।